न्यायालय– सोनल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर म.प्र.

Registration No.	RCT-1058/2024
Filling No.	RCT-3753/2024
CNR No.	MP6701-004280-2024
Filling Date	26-10-2024

निर्णय दिनांकः– 06.07.2026
(महिला पुलिस थाना, जिला अशोकनगर के अपराध कमांक– 1058 / 2024 अंतर्गत धारा–85 बी.एन.एस. एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम)

परिवादी / शिकायतकर्ता	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र महिला थाना, जिला अशोकनगर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्तगण	**1.** सिद्धार्थ उपाध्याय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, उम्र 33 वर्ष **2.** सुरेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण उपाध्याय, उम्र 55 वर्ष **3.** कल्पना पुत्र सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उम्र 53 वर्ष, निवासीगण–वार्ड नंबर–21 मुंगावली रोड चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री देवेन्द्र देवलिया, अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	15.03.2024 से 19.10.2024 तक

प्र.सू.रि. की तिथि	19.10.2024
आरोप पत्र की तिथि	26.10.2024
आरोपों के विरचना की तिथि	07.01.2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	07.03.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	06.07.2026
निर्णय की तिथि	06.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	सिद्धार्थ	धारा 35 बी.एन.ए स.एस. नोटिस	26.10.24	बी.एन.एस की धारा 85 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्त	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।
02.	सुरेन्द्र						
03.	कल्पना						

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

अ.सा. 01	देवांगनी	फरियादी/पीड़िता
अ.सा. 02	ज्योति	अन्य साक्षी
अ.सा. 03	स.उ.नि. श्यामलाल	विवेचक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कुछ नहीं।		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कुछ नहीं।		

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी. 01/अ.सा. 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी. 02/अ.सा. 01	नक्शा–मौका
03.	प्रदर्श पी 03/अ.सा. 01	जप्ती पंचनामा
04.	प्रदर्श पी. 04/अ.सा. 01	फरियादी का पुलिस कथन
05.	प्रदर्श पी. 05/अ.सा. 02	साक्षी ज्योति का पुलिस कथन
06.	प्रदर्श पी. 06/अ.सा. 03	धारा 35 भा.ना.सु.सं. का नोटिस
07.	प्रदर्श पी. 07/अ.सा. 03	धारा 35 भा.ना.सु.सं. का नोटिस
08.	प्रदर्श पी. 08/अ.सा. 03	धारा 35 भा.ना.सु.सं. का नोटिस

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

घ. आवश्यक वस्तुएं :–

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 06.07.2026 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–85 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 19.10.2024 के मध्य स्थान–ग्राम मूड़रा मल्हारगढ़ में फरियादी के पति एवं पति के नातेदार होते हुये उससे दहेज में 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये और गाड़ी अपने मायके से लाने की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादी से दहेज की मांग की।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी देवांगनी पत्नी सिद्धार्थ ने मय हमराह अपने नाना रामगुलाल शर्मा के साथ थाना

उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उसकी शादी दिनांक 15.02.2023 को हिन्दू रीति–रिवाज से सिद्धार्थ उपाध्याय के साथ हुई थी। उसके पिता ने अपनी हैसीयत के अनुसार दान–दहेज व नगदी रूपये कुल करीबन पांच लाख रूपये की शादी की थी। शादी के करीब एक माह तक उसे अच्छे से रखा। इसके बाद उसे उसके पति सिद्धार्थ, सास–कल्पना उपाध्याय व ससुर सुरेन्द्र उपाध्याय मांग करने लगे कि वह अपने पिता से पांच लाख रूपये और गाड़ी लेकर आये। उसने कहा कि उसके माता–पिता पैसे देने की स्थिति में नहीं है तो उन्होंने उसे दिनांक 12.06.2023 को घर से निकाल दिया था। जब से वह अपने मायके मूड़रा मल्हारगढ़ में अपने माता–पिता के साथ रह रही है। उसके माता–पिता ने उसके पति को कई बार समझाने का प्रयास किय, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है तथा उसे उसके घर पर आकर भी धमकी देकर चले गये और उसे ले जाने को तैयार नहीं है। वह अपने पति सिद्धार्थ, ससुर–सुरेन्द्र उपाध्याय, सास–कल्पना की दहेज की मांग पर से बहुत अधिक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है, कार्यवाही की जावे। इस आधार पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक–61/2024, अंतर्गत धारा 85 भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्तगण को सूचना पत्र प्रेषित कर अनुसंधान पूर्ण करते हुये अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अपने अभिवाक् में अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध का प्रत्याख्यान किया एवं विचारण की मांग की एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अधीन किये गये अपने परीक्षण में अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुए व्यक्त किया कि उन्हें रंजिशवश झूठा फंसाया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि –

1–	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 19.10.2024 के मध्य स्थान–ग्राम मूड़रा मल्हारगढ़ में फरियादी के पति एवं पति के नातेदार होते हुये उससे दहेज में 5,00,000 / –(पांच लाख) रूपये और गाड़ी अपने मायके से लाने की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2–	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी से दहेज की मांग की ?

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 व 02 का निष्कर्ष :–

5. फरियादी देवांगनी (अ.सा. 01) ने व्यक्त किया कि, वह अभियुक्तगण को जानती है, अभियुक्त सिद्धार्थ उसका पति, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उसके ससुर तथा अभियुक्त कल्पना उसकी सास हैं। फरियादी ने यह भी व्यक्त किया है कि, घटना दिनांक को उसका अभियुक्तगण से घरेलू बातों को लेकर मामूली वाद–विवाद हो गया था तथा उक्त विवाद के संबंध में उसके द्वारा महिला पुलिस थाना में प्रदर्श पी. 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक् रूप से प्रमाणित किये हैं। उक्त बिंदू पर साक्षी ज्योति ने व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानती है, अभियुक्त सिद्धार्थ उसका दामाद, अभियुक्त सुरेन्द्र उसके समधी तथा अभियुक्त कल्पना उसकी समधन है तथा घटना दिनांक को उसकी पुत्री देवांगनी व अभियुक्तगण का घरेलू बात को लेकर मामूली वाद–विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसने रिपोर्ट लेख कराई थी।

6. प्रकरण में फरियादी देवांगनी ने यह व्यक्त किया कि, घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी–02 है तथा पुलिस ने उसकी शादी के फोटो, एक शादी का कार्ड एवं उसके आधार कार्ड की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी–03 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर सम्यक रूप से प्रमाणित किये हैं।

7. प्रकरण में फरियादी ने अभियोजन द्वारा पूछे गये सूचक प्रश्न में इस बात से भी इंकार किया है कि, उसने पुलिस को प्रदर्श पी. 04 के कथन का ए से ए भाग तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–01 का बी से बी भाग लिखाया था। इस बिन्दु पर साक्षी ज्योति (अ.सा. 02) ने व्यक्त किया है कि, उसने पुलिस को प्रदर्श पी. 05 का कोई कथन नहीं दिया था। फरियादी देवांगनी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–3 में स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन पढ़कर नहीं सुनाये थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे, उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे।

8. उपरोक्त बिन्दु पर विवेचक साक्षी श्यामलाल (अ.सा. 03) ने यह व्यक्त किया है कि, उसे केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात् उनके द्वारा फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना–स्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी. 02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक् रूप से प्रमाणित किये हैं तथा उक्त दिनांक को ही फरियादी देवांगिनी के कथन एवं दिनांक 22.10.2024 को साक्षी श्रीनंदन, ज्योति, रामगुलाम व लखन के कथन लेख किये थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 22.10.2024 को फरियादी द्वारा पेश करने पर दो शादी के फोटो, एक शादी का कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी–03 बनाया था तथा दिनांक 23.10.2024 को अभियुक्तगण को धारा–41क द.प्र.स. के सूचना पत्र प्र.पी–06 लगायत प्र.पी–08 दिये थे, जिनके ए से ए

भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक रूप से प्रमाणित किये हैं।

9. प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं दर्शाये हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि, अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ दहेज की मांग की थी तथा दहेज की मांग को लेकर फरियादी के साथ प्रताड़ना की थी।

10. प्रकरण में न्यायदृष्टांत ***Akhilesh Kumar Vs State of U.P. 2016*** **(95)** ***ACC 170*** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि–*Suspicion however strong cannot assume form of proof and doubt is not a trivial or mere a probable doubt but a fair doubt based upon reasons and common senses.* मात्र संभावनाओं के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं आपराधिक सिद्धांत के विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचना एवं न्यायदृष्टांत के आलोक में यह युक्तियुक्त संदेह से परे **प्रमाणित नहीं** होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 19.10.2024 के मध्य स्थान–ग्राम मूड़रा मल्हारगढ़ में फरियादी के पति एवं पति के नातेदार होते हुये उससे दहेज में 5,00,000 / –(पांच लाख) रूपये और गाड़ी अपने मायके से लाने की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादी से दहेज की मांग की।

11. फलतः अभियुक्तगण 1.–सिद्धार्थ उपाध्याय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, उम्र 33 वर्ष **2**–सुरेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण उपाध्याय, उम्र 55 वर्ष **3**–कल्पना पुत्र सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उम्र 53 वर्ष, निवासीगण–वार्ड नंबर–21 मुंगावली रोड चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) को धारा 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण द्वारा निष्पादित नियमित जमानत एवं मुचलके

उन्मोचित किये जाते है।

13. अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध नहीं रहे हैं। अतः इस संबंध में अभियुक्तगण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाण पत्र अर्थात धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज अभिलेख का भाग हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(सोनल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–अशोकनगर म.प्र.

(सोनल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–अशोकनगर म.प्र.

SONAL GUPTA
Digitally signed by SONAL GUPTA